28.3.16 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं 1, 2 व 6 का वकालतनामा वकील श्रीपाल मेघवाल व विनोद मेघवान ने पेश किया जो मूल वाद में शामिल पत्रावली किया शेष अप्रार्थी तलबी का इन्तजार है। पत्रावली दिनांक 2/5/16 को पेश हो।

2.5.16 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी ~~इन्तजार~~ 29.6.16 को पेश हो।

29/6/16 पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प सादड़ी पेशहुई अप्रार्थी नं. 7 उपस्थित।

(7) अप्रार्थी नं. 7 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मुझे इस प्रकरण के मुख्य कारण।

हमने मजमून आज पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन मिस्सा करने पाया कि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होने पर अप्रार्थीगण सं 2, 4, 5 & 9 बाहर रहने की सूचना प्राप्त होती है। जो प्रतीत होता है कि अप्रार्थी सं 1, 2, व 3 के ही प्रार्थीगण को अब अप्रार्थीगण के खिलाफ चल रहे प्रकरण के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के आधार सम्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः मौजा सादड़ी की खसरा नं. 140, 146, 152, 153 कुल रकबा 1.55 हेक्टेयर के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के रकबे की देते, मौका एवं मूल स्वरूप की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा की जाती है। पत्रावली स्वीकार कर फैसल शुमार मुसवाद के साथ नत्थी हो।

SDM